प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ

सेवा में

उप निदेशक मत्स्य,
इलाहाबाद / आगरा / अलीगढ़ /
आजमगढ़ एवं मिर्जापुर।

पंत्राक /नि0शा0/ दिनांक 27-9-2012

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य पोषित मोबाईल फिश पार्लर योजनान्तर्गत बजट आवंटन

महोदय,

चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में मोबाईल फिश पार्लर योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 8.25 लाख के सापेक्ष्य शासनादेश संख्या 779/सत्रह–म–2012–11–1–(4)/2007 दिनांक 31 मई, 2012 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा लेखानुदान अवधि के लिए रू0 2,75,000 (रूपया दो लाख पच्चहतर हजार) की वित्तीय स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या 1727/सत्रह–म–2012–11–1–(4)/2007 दिनांक 31 अगस्त, 2012 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा शेष रू0 5,50,000/– (रू0 पॉच लाख पचास हजार) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार निर्गत वित्तीय स्वीकृति की सकल धनराशि रू0 8.25 लाख (आठ लाख पच्चीस हजार) स्तम्भ–3 में अंकित जनपदों से सम्बन्धित स्तम्भ–2 में अंकित उप निदेशक मत्स्य को स्तम्भ–5 में अंकित धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है।

क्र0सं0	मण्डल	जनपद	मोबाईल फिश पार्लर की स्थापना का लक्ष्य	आवंटित धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1–	इलाहाबाद	इलाहाबाद	01	1.65
2–	आगरा	आगरा	01	1.65
3–	अलीगढ़	अलीगढ़	01	1.65
4–	आजमगढ़	आजमगढ़	01	1.65
5–	मिर्जापुर	मिर्जापुर	01	1.65
		योग		8.25

(रूपया आठ लाख पच्चीस हजार)

–2–

AK LOHANEE 1

1— उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित नियमों / शर्तो के अधीन योजना का क्रियान्वयन निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ की कार्ययोजना के अनुसार किया जायेगा। इस हेतु मण्डल स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2— यह योजना निजी क्षेत्र में चयनित पात्र लाभार्थियों के द्वारा 30 प्रतिशत शासकीय अनुदान और 70 प्रतिशत बैंक ऋण द्वारा शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जायेगी। लाभार्थियों की सूची एवं उनके बैंक खाते की पूर्ण सूचना शासन को देनी होगी। उपरोक्त स्वीकृत धनराशि को कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3— योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को इसी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण करने के पूर्व जहाँ पर उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4— उपरोक्त बजट का अंकन योजनागत बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या — ०।

उपरोक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में अनुदान संख्या—17 के अधीन लेखा शीर्षक—2405—मछली पालन आयोजनागत, 101—अर्न्तदेशीय मछली पालन, 04—मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0404—मोबाइल फिश पार्लर, 27—सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

ह0 / —
(डी0 के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ

पंत्राक 435 / नि0शा0 / दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी(द्वितीय) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— सम्बन्धित जिलाधिकारी, / मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
4— सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5— उप निदेशक मत्स्य, नियोजन, मुख्यालय।
6— सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
7— सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8— गार्ड फाइल ।
9— प्रभारी कम्प्यूटर निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

14/9/11
(ए0के0सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य उ0प्र0,

AK LOHANEE 1